

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), मुकाम-सिरोही(राज.)

प्रार्थीया

अप्रार्थी

भागुदेवी पुत्री श्री खुबाजी पत्नि डायालाल
जाति भील नि. देलदर
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा.पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 98/2024

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
24-12-24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री दिनेश टांक व स्टेट की ओर से परोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/1289 दिनांक 11-12-2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा मंडवाडा के जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता संख्या 299 के खसरा संख्या 462 से 472, 475, 494 कुल रकबा 8.11 है0 प्रार्थीया एकी पुत्री खुबा कौम भील 1/18 हि. के नाम भूमि दर्ज है। प्रार्थीया द्वारा पेश किये आधार कार्ड, राशन-कार्ड, आयुष्मान कार्ड में प्रार्थीया नाम भागुदेवी पत्नि डायालाल दर्ज है, प्रार्थीया का मण्डवाडा में पीहर होने से उतराधिकार में प्राप्त भूमि में एकी पुत्री खुबा जाति भील 1/18 हि. दर्ज है। प्रार्थीया का राजस्व रेकॉर्ड में नाम एकी पुत्री खुबा से शुद्ध कर आधार कार्ड अनुसार भागुदेवी पुत्री खुबा किया जाना उचित होना बताया है</p> <p>अतः मौजा मंडवाडा के जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता संख्या 299 के खसरा संख्या 462 से 472, 475, 494 कुल रकबा 8.11 है0में प्रार्थीया का नाम एकी पुत्री खुबा के स्थान सही नाम भागुदेवी पुत्री खुबा किया जाना उचित होना बताया है।</p> <p>प्रकरण में वकील प्रार्थी व परोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया ।</p> <p>सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि मौजा मौजा मंडवाडा के जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता संख्या 299 के खसरा संख्या 462 से 472, 475, 494 कुल रकबा 8.11 है0 में प्रार्थीया का नाम एकी पुत्री खुबा के स्थान सही नाम भागुदेवी पुत्री खुबा संशोधन कर उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें</p>	

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)